राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/भास/माद/10–11 जयपुर, दिनांक : 04-06-2012

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त राजस्थान।

विषय :–महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत श्रमिकों को फार्म न. 6 उपलब्ध कराने एवं उसकी पावती रसीद जारी करने के कम में।

संदर्भ :– **विभागीय समसंख्यक पत्रांक दिनांक 31.01.11, 04.02.11. 12.05.11, 24.01.12 एवं 02.02.2012**

महोदय,

महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा जारी ऑपरेशनल गाईड लाईन 2008 के पैरा 5.4 में रोजगार की मांग हेतु आवेदन के संबन्ध में जानकारी दी गयी है। बिन्दु संख्या 5.4.1 में वर्णित है कि कार्य की मांग के लिए आवेदन पत्र ग्राम पंचायत को दिया जाना चाहिए। श्रमिक द्वारा सीधे ही कार्यक्रम अधिकारी को भी आवेदन प्रस्तुत किये जाने का विकल्प प्राप्त होना चाहिए, परन्तु इसे Fall back विकल्प के रूप में ही काम में लेना चाहिए अर्थात जहां तक संभव हो आवेदन ग्राम पंचायत स्तर पर ही प्रस्तुत किए जावें।

संदर्भित पत्रों द्वारा योजनान्तर्गत रोजगार की मांग करने हेतु फार्म न. 6 की उपलब्धता ग्राम पंचायत कार्यालय के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये थे। साथ ही यह भी निर्देश जारी किये गये थे कि फार्म न. 6 की दिनांकित रसीद भी आवश्यक रूप से आवेदनकर्ता को उपलब्ध करायी जायेगी। आवेदक द्वारा सादा कागज पर भी आवेदन किया जा सकता है। आवेदन चाहे सादा कागज पर किया गया हो अथवा फार्म न. 6 पर, उसमें जॉबकार्ड का नम्बर, जिस तिथि से रोजगार चाहा गया है तथा जितने दिन का रोजगार चाहा गया है, का वर्णन किया जाना आवश्यक है। साथ ही मांग पत्र पर श्रमिक/परिवार के मुखिया के हस्ताक्षर/अंगुठा निशानी भी आवश्यक है। **आवेदन चाहे निर्धारित प्रपत्र फार्म न. 6 में किया गया हो अथवा सादे कागज पर, प्राप्ति की दिनांकित रसीद प्राप्तकर्ता द्वारा दी जानी आवश्यक है क्योंकि, इसी रसीद के आधार पर मांग के बावजूद रोजगार उपलब्ध नही कराए जाने की स्थिति में, आवेदनकर्ता द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बेरोजगारी भत्ते की मांग की जा सकती है। यह रसीद उपलब्ध नही कराए जाने से, अधिनियम में श्रमिक को प्राप्त बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने की मांग के अधिकार का हनन होता है।**

विभाग की जानकारी में आया है कि कुछ स्थानों पर रोजगार की मांग हेतु आवेदन पत्र सीधे ही कार्यक्रम अधिकारी को दिये जा रहे है। इन आवेदन पत्रों में कुछ आवेदकों द्वारा जॉबकार्ड नम्बर भी नही लिखा जाता है। साथ ही रोजगार की मांग करने वाले आवेदनकर्ताओं को आवेदन प्राप्तकर्ता द्वारा दिनांकित प्राप्ति रसीद भी उपलब्ध नही करायी जा रही है। यह कृत्य विभागीय निर्देशों एवं महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची 2 के पैरा 10 के प्रावधानों की अनदेखी किये जाने की श्रेणी में आता है। नरेगा अधिनियम 2005 के सैक्शन 25 में प्रावधान है कि जो कोई भी

इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लघंन करेगा, वह दोष सिद्वी पर जुर्माने का, जो एक हजार रूपये तक हो सकेगा, दायी होगा। जिला स्तर पंर, जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं ब्लाक स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी अधिनियम के प्रावधानों को सुनिश्चित कराने हेतु प्राधिकृत अधिकारी है।

अतः जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं कार्यक्रम अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि अधिनियम की अनुसूची 2 के पैरा 10 के प्रावधानों के अनुरूप रोजगार की मांग करने वाले आवेदनकर्ताओं को प्राप्ति रसीद उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित कराया जावे एवं प्रावधानों के उल्लघंनकर्ता पर निम्नानुसार कार्यवाही सम्पादित की जाये :–

- प्रथम बार फार्म न. 6 की रसीद नही दिये जाने पर नरेगा अधिनियम 2005 के सैक्शन 25 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।
- इसके उपरान्त भी निर्देशों एवं अधिनियम के प्रावधानों की पालना नही किये जाने पर संबन्धित के विरूद्व नरेगा अधिनियम 2005 के सैक्शन 25 के साथ–साथ कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 08.02.2010 द्वारा जिला कलेक्टर्स को दी गयी शक्तियों अथवा पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 91(क) के तहत प्रदान की गयी शक्तियों (जो भी लागू हो) के अनुसार कार्यवाही की जावें।
- आवेदन प्रपत्रों पर जॉबकार्ड संख्या अंकित नही होने की स्थिति में आवेदनकर्ता से जॉबकार्ड संख्या पूछकर आवेदन पत्र पर अंकित किया जावे, परन्तु यदि जॉबकार्ड संख्या की जानकारी उपलब्ध नही करायी जाती है तो आवेदन पत्र पर स्पष्टतया यह अंकित किया जावे कि जॉबकार्ड संख्या वर्णित नही की गयी है।
- आवेदन प्रपत्र सीधे ही कार्यक्रम अधिकारी को दिये जाने पर कार्यक्रम अधिकारी द्वारा दिनांकित रसीद आवेदनकर्ता को दी जावे एवं किन स्थितियों में आवेदन पत्र सीधे ही कार्यक्रम अधिकारी को दिये गये है, का उल्लेख करते हुए आवेदन पत्रों की प्रति अपने कार्यालय में रखते हुए मूल आवेदन ग्राम पंचायत को प्रेषित किए जावें। साथ ही मस्टररोल जारी करते समय यह सुनिश्चित करें कि आवेदनकर्ताओं को कार्य पर नियोजित किया गया है।

भवदीय

आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपिः

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा, राजस्थान एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान जयपुर/जोधपुर।
3. विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी, नरेगा, पंचायत समिति समस्त राजस्थान।
4. रक्षित पत्रावली।

परि.निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस